अध्यादेश संख्या – 30

योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की शक्तियाँ और प्रकार्य

[केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम **2009** की धारा **26**(q) सहित धारा **26**(k) के अंतर्गत**]**

1. केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 और उसके अंतर्गत निर्मित परिनियम, अध्यादेश, नियम और विनियम के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में एक योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना और समापन सहित विश्वविद्यालय की समग्र शैक्षणिक योजना एवं विकास पर शैक्षणिक परिषद एवं कार्य परिषद को सलाह प्रदान करना।
2. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड (संक्षेप में, बोर्ड) में निम्नलिखित सदस्य होंगे;

   i. कुलपति............अध्यक्ष

   ii. कुलपति द्वारा नामित दो संकायों के संकायाध्यक्ष (पदेन सदस्य);

   iii. कार्य परिषद द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो उच्च शिक्षा की योजना और विकास के विशेषज्ञ या इसमें विशेष अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध हों;

   iv. कुलपति द्वारा नामित तीन विशेषज्ञ, जो उच्च शिक्षा की योजना और विकास के विशेषज्ञ या इसमें विशेष अभिरुचि के लिए प्रसिद्ध हों;

   v. विश्वविद्यालय के कुलपति;

   vi. विश्वविद्यालय के वित्त – अधिकारी;

   vii. कुलपति द्वारा योजना एवं विकास अधिकारी या विशेष कार्य–अधिकारी (योजना एवं विकास) के रूप में पदनामित व्यक्ति सदस्य–सचिव होगा।
3. कार्यकाल : पदेन सदस्यों के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा।
4. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु उप–समितियों की नियुक्ति कर सकता है जिसमें योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।
5. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की शक्तियाँ एवं प्रकार्य होंगे :

   i. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या स्थापित किये जाने वाले विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, हॉलों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना और समापन सहित विश्वविद्यालय की समग्र शैक्षणिक योजना एवं विकास पर शैक्षणिक परिषद एवं कार्य परिषद को सलाह एवं संस्तुति प्रदान करना।

   ii. विश्वविद्यालय की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना को तैयार करना और उनकी निगरानी करना तथा विश्वविद्यालय की अनुमोदित योजनाओं को लागू करने के दौरान उसमें सुधार संबंधी सुझाव प्रदान करना।

   iii. विश्वविद्यालय की योजनाओं की योजना और निगरानी के लिए आवश्यक समितियों का गठन और सलाह देना।

   iv. अध्ययनशालाओं और अन्य शैक्षणिक पदों के सृजन का प्रस्ताव बनाना और उन पदों के दायित्व का निर्धारण करना।

   v. विश्वविद्यालय में नवीन शैक्षणिक कार्यक्रमों के स्थापना के संबंध में सुझाव एवं सलाह देना।

   vi. भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न योजनाओं को लागू करने के संबंध में सुझाव एवं सलाह देना।

   vii. विश्वविद्यालय के विभागों और संकायों की कार्यप्रणाली का समय–समय पर मूल्यांकन, निगरानी और सलाह देना।

   viii. कुलपति/शैक्षणिक परिषद्/कार्य–परिषद् द्वारा निर्धारित प्रकार्यों और दायित्वों का निर्वहन करना।

   ix. अंतर–अनुशासनिक कार्यक्रमों को मजबूत करने, विश्वविद्यालय के विभागों/संकायों/केंद्रों के बीच सहयोग स्थापित करने और विश्वविद्यालय, उद्योग जगत और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच पारस्परिक समन्वय की योजनाओं के निर्देश के साथ–साथ शिक्षा और शोध के स्तर को बढ़ाने संबंधी उपायों का सुझाव देना।

6. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की संस्तुतियों को शैक्षणिक परिषद् और कार्य–परिषद के समक्ष विचारार्थ और आगे आवश्यक कार्यवाही हेतु रखा जाएगा।

योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की बैठकें :

7. योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की सालभर में कम–से–कम दो बैठकें आयोजित होंगी जिसमें से एक बैठक नवीन शैक्षणिक सत्र के आरंभ में विश्वविद्यालय की विवरणिका के प्रकाशन के पूर्व होनी चाहिए।
8. कुलपति अपनी पहल पर या बोर्ड के कम–से–कम एक–तिहाई सदस्यों के लिखित निवेदन पर बोर्ड की विशेष बैठक आयोजित कर सकते/सकती हैं।
9. कोरम : बोर्ड की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का एक–तिहाई होगा जिसमें कम–से–कम दो सदस्य विश्वविद्यालय के बाहर के होने चाहिए।

सूचना :

10. बोर्ड की किसी भी बैठक की सूचना बैठक के लिए नियत दिन के कम–से–कम दस दिन पहले बोर्ड के सदस्य–सचिव द्वारा जारी कर दी जाएगी।
11. कुलपति अल्पकालिक सूचना, जो तीन दिन से कम न हो, पर भी बोर्ड की आपातकालीन बैठक आयोजित कर सकता है।
12. आचार संहिता : बैठक के आचरण के नियम इस संबंध में निर्मित विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

ORDINANCE NO. 30

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PLANNING AND MONITORING BOARD

(Under sections 26(k), 19(6) read with section 26(q) of the Central Universities Act 2009)

1. Save as otherwise provided in the Central Universities Act 2009 and the Statutes, Ordinances, Rules & Regulations made there under, the University shall have a Planning & Monitoring Board which shall advice the Academic and Executive Council on overall academic planning and development of the University including establishment and abolition of various Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions, if any, established or to be established by the University.
2. The Planning and Monitoring Board (in short, the Board) shall consist of the following namely;
   - i. The Vice-Chancellor ………….. *Chairperson*
   - ii. Two Deans of Schools to be nominated by the Vice-Chancellor *(Ex-Officio Member)*;
   - iii. Three Experts, known for their expertise / special interests in planning and development of Higher Education, to be nominated by the Executive Council;
   - iv. Three Experts, known for their expertise/special interests in planning and development of Higher Education, to be nominated by the Vice-Chancellor;
   - v. The Registrar of the University
   - vi. The Finance Officer of the University
   - vii. The person designated by the Vice-Chancellor as the Planning & Development Officer or the Officer on Special Duty (Planning & Development) shall be the *Member Secretary.*
3. **Terms of office:** All the members of the board, other than *Ex-Officio* members shall hold the office for a term of three years.
4. The Planning and Monitoring Board may appoint sub-committees for specific purpose which may include persons other than the members of the Planning and Monitoring Board.
5. The powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be as under:

i. to advice and recommend the Academic and Executive Council on overall academic planning and development of the University including establishment and abolition of various Schools, Departments, Centres, Halls, Colleges and Institutions, if any, established or to be established by the University.

ii. to prepare and monitor the short term and long term plan of the University and further suggest measures for midcourse correction in the implementation of the approved plans of the University

iii. to advise and constitute such committees as may be necessary for planning and monitoring of the plans of the University.

iv. to initiate proposals for institution of teaching & other academic posts and prescribing the duties of such posts.

v. to suggest & advise new academic programmes to be established in the University

vi. to suggest & advise on implementation of various schemes of Government of India/UGC as issued from time to time.

vii. to evaluate, monitor & advise from time to time on the working of the University Teaching Departments and School of Studies.

viii. to perform such other functions and duties as may be prescribed by the Vice-Chancellor/Academic Council/Executive Council.

ix. to suggest measures for raising the standard of education and research, including strengthening of inter-disciplinary programmes, cooperation between Departments/Schools/Centres of the University and schemes for interaction between the University, Industry and other educational institutions;

6. The recommendations of the Planning and Monitoring Board shall be placed before the Academic Council and Executive Council for consideration and further necessary action.

Meetings of the Planning & Monitoring Board:

7. The planning and Monitoring Board shall meet at least twice a year out of which one meeting should be held prior to the publication of University Prospectus for the following Academic Session.

8. The Vice-Chancellor may convene special meetings of the Board at his/her own initiative or on a written request from at least one-third of the members of the Board.

9. **Quorum:** The quorum for the meeting of the Board shall be one-third of its total members including at least two members from outside the University.

Notice:

10. Notice for any meeting of the Board shall be issued by the Member Secretary of the Board at least 10 days before the date fixed for the meeting.

11. The Vice-Chancellor may convene emergency meeting of the Board at short notice but not less than 3 days.

12. **Rules of Business:** Rules of conduct of the meetings shall be as prescribed by the Regulations in this regard.